गृह मंत्रालय

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन) 2019 को राज्यसभा में सर्वानुमति से मिली मंजूरी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा राजनीतिक आधार पर एनआईए की कुशलता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिये

प्रविष्टि तिथि: 17 JUL 2019 7:52PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन) 2019 को राज्यसभा में सर्वानुमति से आज मंज़ूरी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा दुनिया में जहाँ भी भारतीयों के खिलाफ आतंकवादी हमला होगा, एनआईए जांच कर सकेगी।

श्री अमित शाह ने कहा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने वाली एजेंसी को और ताकत देने की बात हो तो सदन को एक मत होना चाहिये और इस पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिये। श्री शाह ने कहा कि राजनीतिक आधार पर एनआईए की कार्यकुशलता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सदन को आश्वस्त करते हुए गृह मंत्री ने कहा नरेंद्र मोदी सरकार एनआईए का कभी दुरुपयोग नहीं करेगी।

गृह मंत्रालय के अनुसार 30.06.2019 तक एनआईए ने 272 केस रजिस्टर किए हैं। उनमें से 199 पर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। 51 मामलों में फैसला सुनाया जा चुका है जिनमें 46 मामलों में अभियुक्तों को सजा हुई है।

श्री अमित शाह ने सदन में कहा समझौता ब्लास्ट में कुछ लोगों को पकड़ा गया था, भारत के अलावा अमेरिकन एजेंसियों ने भी कहा कि इन लोगों ने समझौता ब्लास्ट किया किंतु पकड़े गए लोगों को छोड़ा गया, उसके बाद कुछ निर्दोष लोगों को पकड़ा गया। क्या इन निर्दोष लोगों तथा उनके परिवारों के मानव अधिकार नहीं थे ?

***

वीजी/डॉ डीडी

(रिलीज़ आईडी: 1579250) आगंतुक पटल : 503

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Bengali , . unjabi